भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *233
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता

***233. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत फूस के छप्पर वाले घर को वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए टिन की चादरों से बनी कम लागत वाली छत को फूस के छप्पर के समान माने जाने पर विचार किया जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *233 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का क्रियान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, प्रारंभिक लक्ष्य के रूप में वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना को पांच और वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है ताकि मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार कुल 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) के अनुसार वे सभी बेघर और उन सभी परिवारों को शामिल किया गया है जो बिना कमरे वाले, एक या दो कमरे वाली कच्ची दीवार और कच्ची छत (कच्चे आवास) में रहते हैं।

एसईसीसी की “कच्चा घर” की परिभाषा के अनुसार, एक कच्चा घर वह है जिसकी दीवार की प्रमुख सामग्री घास, छप्पर, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी या मोर्टार के बिना जुड़ा पत्थर हो, और जिसकी छत घास, छप्पर, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पॉलीथीन या हस्तनिर्मित टाइल्स की बनी हो।

हालाँकि, भारत सरकार के पूर्व अपर सचिव स्वर्गीय श्री नागेश सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था ताकि असम, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रस्तावों पर पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे आवास की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए अपनी सिफ़ारिशें दी जा सकें। विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफ़ारिशों के अनुसार, असम और त्रिपुरा राज्यों के लिए यह निर्णय लिया गया कि "सीजीआई शीट की छत और कच्ची दीवार वाले आवास को कच्चा आवास माना जा सकता है, जबकि नमी से जल्दी क्षरण होने वाली सामग्री जैसे 'इक्रा' पैनल, बिना भट्ठे में पकी ईंट आदि से बनी दीवार, जिसकी बाहरी सतह सीमेंट और रेत के प्लास्टर से सुरक्षित हो, को पक्की दीवार माना जा सकता है।"

*****